**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–**

दिनांक 17.03.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको तथा बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन विभाग में भेज दिया गया है तथा भागलपुर का प्राक्कलन तैयार करके दिनांक 18.03.2017 तक विभाग को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि दिनांक 18.03.2017 तक मधुबनी ड्रेनेज योजना एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जा सके तथा सहरसा ड्रेनेज योजना की निविदा शीघ्र प्रकाशित करायी जाय।

3. बैठक में अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र नगर, रोड नं०–2, सैदपुर के निकट एवं बारी पथ (खेतान मार्केट के निकट) में अभी भी हल्की बारिश होने पर रोड में काफी जलजमाव हो जाता है। यह भी बताया गया कि सैदपुर सम्प हाऊस की डिस्चार्ज क्षमता बढ़ाने से राजेन्द्र नगर एरिया में जलजमाव काफी कम हो जाएगी।

कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र नगर, रोड नं०–2, सैदपुर नाला के निकट एक स्टॉर्म ड्रेनेज का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, जो प्रेमचंद रंगशाला से होते हुए एन०सी०सी० के निकट से जाएगी।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि पाटलिपुत्रा, गोसाईं टोला एवं सैदपुर सम्प हाऊस की क्षमता आवश्यकतानुसार बढ़ाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय तथा उक्त क्षेत्र में ड्रेनेज योजना का डी०पी०आर० भी अतिशीघ्र तैयार करायी जाय ताकि अगले मॉनसून से पूर्व तक ड्रेनेज का निर्माण कराया जा सके।

4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि राजवंशी नगर, आई०ए०एस० कॉलोनी में भवन निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से Internal drainage का निर्माण कराया जा रहा है।

निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राजवंशी नगर पम्पिंग स्टेशन से बोरिंग कैनाल रोड तक ड्रेनेज की समस्या का अपने स्तर से निराकरण कराया जाय ताकि उक्त क्षेत्र में मॉनसून के समय जलजमाव नहीं हो।

5. **पीरमुहानी, राजेन्द्र नगर, राजवंशी नगर एवं बारी पथ में ड्रेनेज समस्या का स्थल निरीक्षण हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंताओं एवं पटना नगर निगम के संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों का दल गठित की जाती है, जिसमें अधीक्षण अभियंता–1, बिहार**

**<u>राज्य जल पर्षद, कार्यपालक अभियंता (कार्य) एवं पटना नगर निगम के संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे। यह दल संयुक्त रूप से निरीक्षण प्रतिवेदन मंतव्य सहित एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी एवं पटना नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे</u>**।

निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम अपने स्तर से संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निरीक्षण में शामिल रहने हेतु निर्देशित करेंगे। उक्त दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर ही बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा ड्रेनेज निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया जाएगा।

6. बैठक में कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि पटना साहिब क्षेत्रांतर्गत चौक शिकारपुर से न्यू बाईपास के बीच नाला निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग 300 मीटर में Missing gap है, जिसमें नाला का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा उक्त क्षेत्र में छूटे हुए नाले का निर्माण कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई अतिशीघ्र की जाय।

7. एन०टी०पी०सी० के पदाधिकारियों के साथ पूर्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि बाढ़ एन०टी०पी०सी० के ड्रेनेज योजना का डी०पी०आर० बुडको द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें यह भी निर्णय हुआ था कि डी०पी०आर० के निर्माण पर होने वाले व्यय का वहन एन०टी०पी०सी० द्वारा किया जाएगा। बैठक में समीक्षा के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि बुडको द्वारा इस हेतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

निर्देश दिया गया कि मुख्य महाप्रबंधक, बुडको इस हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे एवं नियमित रूप से इस कार्य का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

8. बैठक में आरा शहर में ड्रेनेज की समस्या प्रतिवेदित की गयी। **<u>निर्देश दिया गया कि श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता एवं श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आरा शहर में ड्रेनेज समस्या का स्थल निरीक्षण किया जाय एवं समस्या के निराकरण हेतु मंतव्य के साथ प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके</u>**।

9. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि छपरा, सिवान, बक्सर एवं जहानाबाद में जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अन्य 03 शहरों में जमीन का एन०ओ०सी० संबंधित जिला पदाधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों से वार्ता भी की गयी है।

10. बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बक्सर जलापूर्ति योजना में 02 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। आरा, बिहार शरीफ, किशनगंज एवं दरभंगा शहर में जलापूर्ति योजना निविदा की प्रक्रिया में है। बगहा में अब जमीन उपलब्ध हो गये हैं, जिसमें ट्यूबवेल निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। मोतिहारी में जमीन अभी उपलब्ध नहीं हो पायी है। सिवान में 03 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सासाराम, डिहरी, सहरसा, बेतिया एवं कटिहार में जलापूर्ति योजना की निविदा एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित कर दी जाएगी।

निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में नगर निकायों के साथ भी समन्वय रखा जाय ताकि भविष्य में कहीं कोई समस्या नहीं हो।

11. **यह निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद के सभी कार्यपालक अभियंताओं के कार्य का मूल्यांकन माह मार्च में शहरों में कराये गये हाऊस–टू–हाऊस कनेक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद इसे सुनिश्चित करेंगे।**

12. कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि पटना शहर के उत्तरी क्षेत्र के जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० 10 अप्रैल तक तैयार करके अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आश्वासन दिया गया कि पटना शहर के दक्षिणी क्षेत्र के जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० 15 अप्रैल तक तैयार करके विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

18/3/2017

**(चैतन्य प्रसाद),**
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2100 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 20/3/17

प्रतिलिपि :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव / अपर सचिव / श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना / मुख्य अभियंता, बुडा, पटना / श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता / श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2017

**प्रधान सचिव**